प्रेस नोट *03/02/2025*

अवैध पिस्टल तथा 02 जिन्दा कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.02.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी अल्लीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद अवैध पिस्टल तथा 02 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/25 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अभिषेक यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी अल्लीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद अवैध पिस्टल तथा 02 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 बोर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. निरीक्षक अपराध मोतीलाल पटेल थाना घोसी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 अभिषेक तिवारी थाना घोसी जनपद मऊ।
3. उ0नि0 प्रकाश कुमार थाना घोसी जनपद मऊ।
4. आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता थाना घोसी जनपद मऊ।

05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 03.02.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारण्ट अभियुक्तगण विनोद राय पुत्र जयमुरत राय निवासी रेवरीडीह, प्रशान्त राय पुत्र स्व0 अनिल राय निवासी भदसामानोपुर थाना कोपागंज तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण दानिश पुत्र हिदायतुल्ला निवासी रधुनाथपुर, दयाराम पुत्र फेकु निवासी बल्लीपुरा, इजहार आलम पुत्र जलील निवासी पुराभिखमकटरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एक दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व ₹2,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एफटीसी कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 01-02-2025 को मु0अ0सं0 943/2012 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्त विजय कुमार पुत्र शिवलोचन निवासी कहींनौर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि एवं ₹2,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।